

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

राजस्थान सेवा नियम-08 में अभिलिखित प्रावधानानुसार निर्धारित कार्यवाही / शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् प्रस्तुत अभिलेखों (राज-पत्र, समाचार पत्र व शपथ-पत्र) के आधार पर अपना नाम परिवर्तित किया गया है।

अतः निम्नांकित कार्मिकों के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में अंकित पूर्व नाम के स्थान पर परिवर्तित नाम की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में निम्नांकित कार्मिकों से संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम संबोधित/जारी किये जावें।

क्र. सं.	कार्मिक का नाम विषय	पदस्थापन	पूर्व नाम	परिवर्तित नाम
1	बरखा मेहता व्याख्याता - भूगोल	राजमावि. मुंगवाड़ा	बरखा मेहता	बरखा जोशी
2	रेणुबाला व्याख्याता - भूगोल	राजमावि. नर्दीन भगतसिंह सर्किल अलवर	रेणुबाला	रेणुबाला जैन



(काना राम)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/नाह-उपजाम परि/2009/492 दिनांक 08/11/2021  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी, ओएसी प्रभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिकः  
(अ). बरखा मेहता, एम्पलॉय आईडी RJBN200503032272, डीपीसी वर्ष 2018-19 में पदोन्नत, द्वितीय श्रेणी वरि वर्ष 2011-12, वरि. क्रमांक 5507  
(ब). रेणुबाला, एम्पलॉय आईडी RJAL198802001153, डीपीसी वर्ष 2013-14 में पदोन्नत, द्वितीय श्रेणी वरि. वर्ष 2013-14, वरि. क्रमांक 417  
की उक्तानुसार की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित है।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक .....
6. निजी /रक्षित पत्रवली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक),  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सेवर जिला भरतपुर के पत्र दिनांक 29.07.2021 द्वारा उदयजीत शा.शि. ग्रेड-1 एसबीके राबाउमावि. भरतपुर की सेवा पुस्तिका में कार्मिक का नाम लिपिकीय भूलवश उदयजीत के स्थान पर उदयजीत सिंह दर्ज होने के कारण सेवा पुस्तिका में कार्मिक का नाम उदयजीत संशोधित करने हेतु प्राप्त प्रकरण का FD(GF&AF Sec) के आदेश क्रमांक 1(4) वित्त/साविलेनि/2006 जयपुर दिनांक 22.9.2016 के rule 131 (3) के अनुसार लिपिकीय भूल से सेवा रिकार्ड में एक बार पुनः सुधार की स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्मिक द्वारा प्रदत्त साक्ष्य (राजकीय सेवा में आने की प्रथम नियुक्ति आदेश में अंकित नाम, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की अंकतालिका में अंकित नाम) के आधार पर कार्मिक का नाम उदयजीत सिंह के स्थान पर उदयजीत करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



(काना राम)

IAS

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 08/11/2021

क्रमांक:- शिविरा/मा/संस्था/सी-5/नाम उपनाम/2009/493

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित संस्था प्रधान.....।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर